Jh g.kkxh ekrk efUnj U;kl g.kkxh] ftyk e.Mh] fgekpy izns'k ds ys[kk dk vads{k.k ,oe~ fujh{k.k izfrosnuA

vof/k 09-12-2006 ls 31-12-2010 rd

Hkkx&,d

1 izLrkouk %&

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास का अधिग्रहण “Hindu Public Religious Institution & chairtable endowment act 1984 section 29 sub sec. (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः LCDB(2)-2/2005, दिनांक 13.10.2006 द्वारा किया गया। उपरोक्त अधिसूचना की अनुपालना में उपायुक्त मण्डी द्वारा उपमण्डल अधिकारी (सदर) मण्डी की अध्यक्षता में नियुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 09.12.06 को श्री हणोगी माता मन्दिर का कार्यभार सम्भाला गया। श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास हणोगी के लेखों का स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का यह प्रथम अंकेक्षण है।

2 orZeku vads{k.k %&

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास हणोगी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेष के वर्तमान लेखों का लेखा परीक्षण अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मोहिन्द्र कुमार अनुभाग अधिकारी व श्री पुनीत कुमार आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 03.02.2011 से 13.04.2011 तक के दौरान हणोगी में किया गया। माह 01/2007, 10/2007, 07/2008, 12/2008, 01/2009, 06/2009, 10/2010 तथा 11/2010 को विस्तारपूर्वक लेखा परीक्षण हेतु चयनित किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास के मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध अभिलेख एवम् सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवम् सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हैं लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 vads{k.k vof/k 09-12-2006 ls 31-12-2010 rd ds nkSjku fuEufyf[kr vf/kdkjh efUnj izHkkjh jgs gS %&

Øe la[;k	efUnj izHkkfj;ksa ds uke	vof/k
1	श्री षिव लाल बन्सल, नायब तहसीलदार	09.12.2006 से 24.08.2007

2	श्री मदन कुमार, नायब तहसीलदार	25.08.2007 से 30.09.2007
3	श्री लालमन, नायब तहसीलदार	01.10.2007 से 17.04.2008
4	श्री बलदेव सिंह, नायब तहसीलदार	18.04.2008 से 31.12.2010

4 vads{k.k 'kqYd %&

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास के लेखों अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹31,400/–किया गया है। मन्दिर अधिकारी हणोगी माता मन्दिर न्यास को अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या फिन(एल0ए0)एम0के0–कुल्लू–4/11–532, दिनांक 13.04.11 द्वारा उपरोक्त शुल्क की राषि को निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने का अनुरोध किया गया।

5 vk; dk L=ksr %&

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास की आय का मुख्य स्त्रोत श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में प्राप्त राषि है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास की हणोगी, कुल्लू, मनाली स्थित धर्मषालाओं, मन्दिर कैन्टीन, एवं जूस बार आदि स्त्रोतों से भी आय प्राप्त की जाती है।

6 ¼d½ foÙkh; fLFkfr %&

श्री हणोगी माता मन्दिर न्यास का सरकार द्वारा अधिग्रहण करते समय उपमण्डल अधिकारी (सदर) की अध्यक्षता में 09.12.2006 को पत्र संख्या **SDM/MND**/06-2773-76, दिनांक 09.12.06 द्वारा निम्नलिखित वित्तीय स्थिति सत्यापित की गई थी।

हस्तगत राषि (मुख्य रोकड़ बही)	5,574.00
हस्तगत राषि जूस बार रोकड़ बही	4,519.00
बचत खाता संख्याः 1043769726–एस0बी0आई0 मनाली	92,882.00
बचत खाता संख्याः 100089801–पी0एन0बी0 कुल्लू	3,10,009.00
बचत खाता संख्याः 500742–पी0एन0बी0 पण्डोह	4,57,714.75
बचत खाता संख्याः 56 एच0पी0–स्टेट कॉप्रेटिव बैंक पण्डोह	1,37,779.00
बचत खाता संख्याः 66 एच0पी0–कॉप्रेटिव बैंक पण्डोह	80,643.00
एफ0डी0आर0 मण्डी अर्बन बैंक संख्याः 266159/99, दिनांक 26.07.99	41,312.00
एफ0डी0आर0 मण्डी अर्बन बैंक संख्याः 1582/270, दिनांक 08.03.01	2,00,000.00
एफ0डी0आर0 मण्डी अर्बन बैंक संख्याः 267/520/99, दिनांक 01.02.98	71,751.00
एफ0डी0आर0 मण्डी अर्बन बैंक संख्याः 00376/92/99, दिनांक 01.10.96	1,74,129.00

हणोगी मन्दिर न्यास की उपरोक्त वित्तीय स्थिति को मन्दिर का कार्यभार सम्भालते समय बैंक खातों से सत्यापित किया गया था, रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया।

¼[k½ मन्दिर अधिकारी हणोगी के पत्र संख्याः HMTT-51/2011-50, दिनांक 11.04.11 द्वारा अवधि 09.12.06 से 31.12.10 तक की जो वित्तीय स्थिति प्रदान की गई उसे आपेक्षित प्रोफोर्मा में अलग–अलग रोकड़ बहियों अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई। परिणामस्वरूप विभिन्न बैंक खातों का रोकड़ बहियों से मिलान नहीं किया जा सका। इस बारे में मन्दिर अधिकारी को अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 531, दिनांक 13.04.11 द्वारा आपेक्षित वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था जोकि अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नही की गई। अतः अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक रोकड़ बहियों में दर्ज आय–व्यय की प्रविष्टियों के आधार पर माहवार गत शेष एवं अन्तषेष निकाले जाएं तथा विभिन्न बैंकों से मिलान करके मन्दिर न्यास की उपरोक्त अवधि की वित्तीय स्थिति तैयार की जाए तदापि चयनित मासों के आय–व्यय की प्रविष्टियों का विभिन्न बैंकों से मिलान कर लिया गया है।

रोकड़ बही अनुसार 31.12.10 को अन्तषेष		1,68,51,808.00
दिनांक 31.12.10 को हस्तगत राषि		(–) 4,067.00
		₹1]68]47]741-00
विभिन्न बैंको अनुसार अन्तषेष		
Punjab National Bank Pandoh A/c 7425	1,22,00,276.75	
Punjab National Bank Pandoh A/c 11756	52,708.00	
H.P. State Co-op Bank Pandoh A/c 66	51,419.00	
H.P. State Co-op Bank Pandoh A/c 56	2,465.00	
Punjab National Bank Kullu A/c 89801	2,45,204.00	
State Bank of India Mandi A/c 97726	87,214.00	
Mandi Urban Bank A/c 2446	2,00,261.00	
¼i½ **Total**	1]28]39]547-75	
F.D.R. Punjab National Bank Pandoh 8457	12,52,425.00	
F.D.R. Punjab National Bank Pandoh 1180	3,66,612.00	
F.D.R. Punjab National Bank Pandoh 6927	7,00,000.00	

F.D.R. Punjab National Bank Pandoh 1513	11,13,000.00	
F.D.R. Mandi Urban Co-Op Bank 8814	19,442.00	
F.D.R. Mandi Urban Co-Op Bank 266	80,604.00	
F.D.R. Mandi Urban Co-Op Bank 376	4,70,446.00	
Share, Mandi Urban Co-Op Bank	36,900.00	
¼ii½ **Total**	40]39]429-00	
	¼i½ o ¼ii½ dk ;ksx	1]68]78]977-00
	vUrj ¼16878977 & 16847741½ =	31]236-00

<u>vUrj dk feyku</u> %&

[kkrk la[;k 7426] ds pSd tks izLrqr ugha fd,	¼&½ 26]335-00
[kkrk la[;k 97726 dk C;kt	¼&½ 4]963-00
cSad pktZ	¼$½ 60-00
jkmaM cgh esa vf/kd fy, yh xbZ jkf'k	¼$½ 2 -00

¼x½ अंकेक्षण के दौरान हणोगी माता मन्दिर न्यास की अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक की रोकड़ बही एवम् वित्तीय आंकड़ों की जाँच पड़ताल करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई है :–

¼i½ अधिग्रहण कमेटी द्वारा हणोगी माता मन्दिर न्यास की 09.12.2006 को वित्तीय स्थिति को न्यास के लेखों की मुख्य रोकड़ बही से मिलान करके सत्यापन नहीं किया गया था तथा आगामी वर्ष 2007 में भी मुख्य रोकड़ बही का 30.09.2007 तक न तो मिलान किया गया और न ही बैंक एवम् निवेष में कितनी राषि जमा थी, इस का सत्यापन किया गया। अतः मुख्य रोकड़ बही के प्रारम्भिक शेष का अधिग्रहण/मन्दिर का कार्यभार सम्भालते वक्त मिलान एवम् सत्यापन न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अवधि की माहवार समाधान विवरणी तैयार करके बैंक खातों से मिलान किया जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के समय करवाई जाए।

¼ii½ दिनांक 01.10.2007 से मुख्य रोकड़ बही में विभिन्न बैंकों का 30.09.2007 को अन्तषेष तथा हस्तगत राषि को जोड़कर प्रारम्भिक शेष निकाला गया था जबकि रोकड़ बही के आय–व्यय का

योग करके विभिन्न बैंकों के चैकों की 30.09.2007 को भुगतान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक शेष निकाला जाना चाहिए था।

¼**iii**½ अवधि 01.10.2007 से 31.12.2010 तक के दौरान मुख्य रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में विभिन्न बैंको एवम् दीर्घकालीन निवेषों की कुल राषि से रोकड़ बही का मिलान कर दिया गया तथा विभिन्न खातों में जमा कुल राषि तथा हस्तगत राषि को आगामी माह में प्रारम्भिक शेष लिया गया जो कि मिलान एवं अन्तषेष निकालने का सही तरीका नहीं है। रोकड़ बही के अनुसार वास्तविक आय–व्यय के आंकड़ों को जमा–घटाकर ही प्रत्येक माह के अन्तषेष एवं प्रारम्भिक शेष निकाले जाने चाहिए थे तन्दोपरान्त ही उनका विभिन्न बैंकों से मिलान करके अन्तर का कारण दर्षाया जाना चाहिए था।

¼**iv**½ हणोगी मन्दिर धर्मषाला कुल्लू, धर्मषाला मनाली एवं जूस बार के आय–व्यय का ब्यौरा अलग–अलग रोकड़ बहियों में दर्ज किया गया है जबकि आय–व्यय का मिलान मुख्य रोकड़ बही में उपरोक्त लेखों के बैंक खातों से प्रत्येक माह के आरम्भ तथा अन्त में जमा राषि के अन्तर से किया गया है जिससे मुख्य रोकड़ बही में दर्षाई गई स्थिति का सही मिलान नहीं किया जा सकता है।

¼**v**½ अवधि 01.01.2007 से 31.12.2010 तक की न्यास की आय एवं व्यय की सालाना विवरणी की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2007, 2008, 2010 की आमदन व्यय विवरणी में धर्मषाला कुल्लू की क्रमषः ₹3,00,000, ₹4,00,000, ₹5,00,000 तथा धर्मषाला मनाली की वर्ष 2008 व 2010 में क्रमषः ₹3,00,000, ₹4,00,000 की आय को दर्षाया गया है जबकि यह राषियां उपरोक्त धर्मषालाओं के बैंक खातों से मुख्य रोकड़ बही के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई राषि है जोकि उपरोक्त वर्षों के दौरान धर्मषालाओं से विषेष अवधि में वास्तविक अर्जित आय को नहीं दर्षाती है। अतः आय एवं व्यय विवरणी में वर्ष के दौरान धर्मषालाओं की रोकड़ बही के अनुसार बैंक में जमा वास्तविक आय एवं व्यय को ही दर्षाया जाए ताकि धर्मषालाओं की वास्तविक आय एवं व्यय की तुलना एवं मिलान किया जा सके।

¼**vi**½ अवधि 2007 से 2010 तक की रोकड़ बही एवं वार्षिक आमदन– व्यय विवरणीयों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया है कि न्यास के कर्मचारियों के वेतन से जो राषि कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती की गई है उसे आमदन–व्यय विवरणी में आय शीर्ष में दर्षाया गया है। जबकि यह राषि मन्दिर न्यास की आय नहीं है। इस राषि को कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कर दिया गया है अतः कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती को आय शीर्ष में दर्षाने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी दरूस्ती करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

(vii) हणोगी माता मन्दिर न्यास के अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक की रोकड़ बही व आय–व्यय विवरणीयों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा आमदन एवम् व्यय विवरणी को H.P. Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment Rule 1984, के नियम 14 तथा Section 34(2) के अनुसार तैयार नहीं किया गया है। अतः दिनांक 09.12.2006 को रोकड़ बही का प्रारम्भिक शेष निकाला जाए तथा प्रत्येक माह की समाधान विवरणी तैयार करके बैंक खातों से मिलान किया जाए। मुख्य रोकड़ बही का बैंक से मिलान करते समय केवल उन्हीं बैंक खातों की कुल राषि को शामिल किया जाए जिनमें जमा आय–व्यय की प्रविष्टियों को मुख्य रोकड़ बही में दर्ज किया गया हो। चूंकि धर्मषाला कुल्लू, धर्मषाला मनाली एवं जूस बार के आय–व्यय की प्रविष्टियों को मुख्य रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। अतः इन खातों के आय–व्यय का अलग से सम्बन्धित रोकड़ बहियों से मिलान किया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(viii) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि हिमाचल प्रदेष सरकार की अध्यक्षता में मन्दिर प्रबन्ध व्यवस्था बारे दिनांक 02.08.2008 को लिए गए निर्णय के अनुसार हणोगी माता मन्दिर न्यास की अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक की चार्टड अकाऊंटैंट से बैलेंस शीट तैयार नहीं करवाई गई है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा हिमाचल प्रदेष सरकार के निर्देषानुसार उपरोक्त अवधि की बैलेंस शीट तैयार करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

(ix) अंकेक्षण के दौरान हणोगी माता मन्दिर न्यास की अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक के बैंक खातों की स्थिति की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राषियों एवं निवेषों को मण्डी अर्बन को–आप्रेटिव बैंक में रखा गया है जबकि हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार जमा राषि को हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक व अनूसूचित बैंकों में रखा जाना आपेक्षित था। अतः मण्डी अर्बन बैंक में निवेष करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इन जमा खातों को परिपक्वता पर बन्द करके हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्थानांतरित/पुनर्निवेष किया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (31-12-2010)
मण्डी अर्बन बैंक मण्डी	8814	19,442.00
मण्डी अर्बन बैंक मण्डी	266	80,604.00
मण्डी अर्बन बैंक मण्डी	376	4,70,446.00
मण्डी अर्बन बैंक मण्डी	2446	2,00,261.00

शेयर	36,900.00

¼?k½ fuos'k %&

हणोगी मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 31.12.10 तक ₹40,39,429/—के किए गए दीर्घकालीन निवेषों की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

Ø0 l0	cSd dk uke FDR No.	fuos'k dh frfFk	C;kt nj	vof/k	fuosf'kr jkf'k	ifjiDork frfFk	ifjiDork jkf'k
1	PNB Pandoh 8457/ TMH 14928	30.06.10	6.50	1 वर्ष	12,52,425	30.06.11	13,35,839
2	PNB Pandoh 1180/ TMH 014463	20.07.10	6.50	1 वर्ष	3,66,612	20.07.11	3,91,029
3	PNB Pandoh 6927/ TMH 014696	27.12.08	9.25	3 वर्ष	7,00,000	27.12.11	9,20,963
4	PNB Pandoh 015513	05.10.10	7.25	1 वर्ष	11,13,000	05.10.11	11,95,913
5	Mandi Urban co-op Bank 8814	01.02.10	6.75	1 वर्ष	19,442	01.02.11	20,788
6	Mandi Urban co-op Bank 976/ UTC-6425	07.02.10	6.25	1 वर्ष	4,70,446	07.02.11	5,03,014
7	Mandi Urban co-op Bank 266/UTC-425	22.02.10	6.25	1 वर्ष	80,604	22.02.11	85,761
8	Mandi Urban co-op Bank TUC-426	Share			36,900		36,900
				dqy ;ksx	40]39]429		

उपरोक्त राषियों/निवेषों को परिपक्वता पर हिमाचल प्रदेष सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों में पुनर्निवेष किया जाए तथा इन निवेषों पर प्राप्त ब्याज का रोकड़ बही में यथासमय लेखांकन करवाना सुनिष्चित किया जाए।

7 efUnj U;kl dh vk; dk cpr [kkrs esa j[kus ds dkj.k ₹4]52]476-00 dh gkfu %&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास की मुख्य रोकड़ बही एवं बैंक खातों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि बैंक खाता संख्याः 7425 में अवधि 09.12.06 से 30.12.10 तक वर्ष के अन्त में निम्नलिखित धन राषि जमा थी।

		vftZr C;kt	nh?kZdkyhu fuos'k ij visf{kr C;kt	C;kt dk vUrj
09.12.06 को जमा राषि	4,57,714	22,746.00	28,607 @ 6.25	5,861.00
31.12.07 को जमा राषि	30,21,732	1,07,665.00	1,88,858	81,193.00
31.12.08 को जमा राषि	53,11,650	1,80,232.00	3,31,978	1,51,746.00
31.12.09 को जमा राषि	81,77,836	2,97,438.00	5,11,114	2,13,676
			dqy ;ksx	₹4]52]476-00

उपरोक्त धन राषि का प्रत्येक वर्ष दीर्घ कालीन निवेष न करने के कारण मन्दिर न्यास की आय में अनुमानित ₹4,52,476/–की हानि हुई जिस के लिए दायित्व निर्धारित किया जाए तथा न्यास की आय को दीर्घकालीन निवेष में न रखने के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में बचत खातों में उतनी ही राषि रखी जाए जितनी की चालू वर्ष में बजट के प्रावधानानुसार खर्चों के लिए आपेक्षित हो। शेष राषि का अनुसूचित बैंकों में दीर्घ कालीन निवेष किया जाए ताकि अधिक ब्याज दर की प्राप्ति से मन्दिर न्यास की आय में बढ़ौतरी हो । अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

8 अंकेक्षण के दौरान हणोगी मन्दिर न्यास के अवधि 09.12.06 से 31.12.10 तक के स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि श्री तेज सिंह सु0 श्री छावे राम गांव धनेतर को स्टील शटरिंग की 23 प्लेटों 2x3¼ कुल 150 वर्ग फुट ₹2/–प्रति वर्गफुट की दर से दिनांक 18.12.07 को किराये पर दी गई थी जोकि दिनांक 03.01.08 तक वापिस की जानी थीं उपरोक्त ठेकेदार द्वारा स्टील शटरिंग को अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं लौटाया गया था। अतः शटरिंग को वापिस लौटाने के लिए उपरोक्त ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाए तथा शटरिंग लौटाने की निर्धारित अवधि के पश्चात लौटाने की तिथि तक किराये की वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 fo'o 'kkfUr egk;K ds fy, iklr vk; dk lgh fglkc fdrkc ugha j[kuk %&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास लेखों अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 की आय व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह में नवरात्रों के दौरान विष्वषान्ति महायज्ञ करवाया जाता है जिसके लिए कमेटियाँ गठित करके प्रदेष के विभिन्न भागों से रसीदों द्वारा राषि एकत्रित की जाती है। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि विष्वषान्ति हेतु जो राषि रसीदों द्वारा एकत्रित की गई है उनकी Counter file में भारी मात्रा में कटिंग/overwriting की गई है। यह भी पाया गया कि विष्वविद्यालय हेतु जो आय प्राप्त हुई है, उसे बैंक में जमा न करके रोकड़ बही में दर्ज करके आगामी माह के दौरान खर्च किया गया है जिसके कारण मुख्य रोकड़ बही का माह के अन्त में बैंक से मिलान प्रभावित हुआ है। अतः भविष्य हेतु विष्वशान्ति महायज्ञ से प्राप्त आय को पहले बैंक में जमा किया जाए तथा खर्चों हेतु चैक द्वारा ही भुगतान सुनिष्चित किया जाए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि विष्वशन्ति यज्ञ हेतु राषि एकत्रित करने के लिए counter file वाली रसीदों की अपेक्षा कार्बन प्रति वाली रसीदें या राषि के कुपन प्रयोग में लाये जायें ताकि एकत्रित की गई राषि की सही गणना तथा सत्यापन के साथ–साथ किसी प्रकार की अनियमितता से भी बचा जा सके। अंकेक्षण दौरान विष्वषान्ति महायज्ञ की जिन उपयोग की गई रसीदों में अनियमितता पाई गई है, उनका ब्यौरा परिषिष्ट (1)(i)(ii)(iii) में दिया गया है जिसमें कर्मचारियों द्वारा दर्यावपूर्ण कृत्य के कारण क्रमषः ₹9233/– ₹3757/– तथा ₹284/–की गबन किए जाने का सन्देहपूर्ण मामला बनता है। अतः इस समस्त प्रकरण में आवष्यक जाँच पड़ताल करने के उपरान्त चूककर्ता से आवष्यक वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य हेतु इन प्रकरणों मे आन्तरिक लेखा प्रणाली को सुधारा जाए तथा जिम्मेवार पदाधिकारियों द्वारा पर्ववेक्षण कार्य को सुदृढ़ किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि उक्त प्रकार की अनियमितताओं की निकट भविष्य में पुनरावृति न हो।

10 jlhn cqdksa dk LVkWd jftLVj esa Bhd <x ls bUnzkt ugha djuk%&

अंकेक्षण के दौरान रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर की छानबीन करने पर पाया गया कि विभिन्न प्रकार की रसीदों का इन्द्राज ठीक ढंग से नहीं किया गया है रजिस्टर में दिनांक तथा जिस कर्मचारी को रसीदें आय एकत्रित करने हेतु वितरित की गई हैं का ब्यौरा नहीं दर्षाया गया है और न ही रसीदों को प्रयोग में लाने से पहले मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में रसीदों को प्रयोग हेतु जारी करने से पहले मन्दिर अधिकारी या कार्यालय अधीक्षक से सत्यापन करवाया जाए तदोपरान्त ही रसीदें प्रयोग में लाई जाएं व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 ¼i½ मन्दिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए आभूषणों का उचित अभिलेख नहीं रखना हणोगी माता मन्दिर न्यास का अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक के अभूषणों के चढ़ावे के अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि श्रद्धालुओं द्वारा मन्दिर में चढ़ाये गए आभूषणों की स्टॉक रजिस्टर में संख्या ही दर्ज की गई है जबकि आभूषणों का माप तोल दर्ज किया जाना अपेक्षित था। अतः श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए आभूषणों को चढ़ाते वक्त माप तोल न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में चढ़ावे के दौरान ही आभूषणों का माप तोल सुनिष्चित किया जाए तथा आभूषणों की किस्म, धातु का नाम, भार तथा दानकर्त्ता का नाम, रसीद में लिखा जाए। (i) अभिलेख के अनुसार जिन आभूषणों का माप तोल नहीं किया गया था उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

vkHkw"k.kksa dk uke	LVkWd jftLVj i0l0	vof/k	Lka[;k	fVIi.kh
छत्र चांदी	3	24.02.07 से 07.08.09	69	
छत्र सोना	5	16.10.07 से 23.10.08	2	
नथ सोना	7	26.03.07 से 27.09.07	10	आभूषणों का दर्षाई गई
पांजेब चांदी	9	10.07.07 से 08.10.08	4	अवधि के दौरान माप तोल
बिछुये चांदी	13	15.07.07 से 21.07.09	17	नहीं किया गया।
आंखें चांदी	17	17.04.08 से 17.12.08	3	
टिका सोना	21	28.10.07	1	

उपरोक्त समस्त मदों का विहित कमेटी गठित करके माप तोल किया जाए व तत्सम्बन्धी अभिलेख का अधिकारिक रूप से सत्यापन करवाने के उपरान्त मन्दिर न्यास के स्टॉक रजिस्टर में तदानुसार इन्द्राज सुनिष्चित किया जाए व नवीनतम स्थिति/अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में आवगत करवाया जाए।

¼ii½ जिन आभूषणों का मापतोल स्टॉक रजिस्टर में दर्षाया गया लेकिन मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया, का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

vkHkw"k.kksa dk uke	LVkWd jftLVj i0l0	vof/k	Lk0@Hkkj	fVIi.kh
छत्र चांदी	1	10.09.09 से 31.12.10	33/394.05 ग्रा0	सत्यापन
छत्र सोना	11	30.09.09 से 31.12.10	1/5-9 मि0ग्रा0	नहीं किया
नथ सोना	15	27.09.07 से 18.10.10	10/85.57 ग्रा0	गया।

बिछुए चांदी	31	05.07.09 से 31.12.09	6 जोडे / 3.40 मि0ग्रा0
विभिन्न वस्तुएं सोना	51	30.09.09 से 31.12.10	— / 5.75 ग्रा0

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि परिषिष्ट ''ई'' अनुसार उपरोक्त आभूषणों का माप तोल वर्ष 2010 में किया गया जिसके अनुसार आभूषणों की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

आभूषण सोना	-986 ग्रा0 45 मि0ग्रा0
आभूषण चांदी	57 कि0 338 ग्रा0 22 मि0ग्रा0

उपरोक्त आभूषणों का मापतोल करने के उपरान्त मुख्य स्टॉक रजिस्टर को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच करवाई जाए तथा इस सन्दर्भ में स्टॉक रजिस्टर में किए गए इन्द्राज का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन करवाया जाना भी सुनिष्चित किया जाए ताकि भविष्य हेतु किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके।

12 efUnj U;kl deZpkfj;ksa dk osru dk **Pay bill Register** esa fglkc fdrkc ugha j[kuk %&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास कर्मचारियों के अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक के चयनित माह के वेतन बिलों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर कर्मचारियों के वेतन का अभिलेख नहीं रखा गया है जबकि वेतन बिलों के साथ वेतन रजिस्टर/E.C.R में प्रत्येक कर्मचारी का अलग—अलग खातों में वेतन सम्बन्धी विभिन्न भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाना चाहिए था। अतः वेतन सम्बन्धी विभिन्न भुगतानों के लिए वेतन रजिस्टर/ E.C.R लगाई जाए तथा प्रत्येक कर्मचारी का वर्ष के दौरान अहारित किए गए वेतन का अलग—अलग खाता रखा जाए ताकि विभिन्न प्रकार के बकाया वेतन भुगतानों की असानी से जाँच की जा सके व अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 efUnj U;kl deZpkfj;ksa dk **E.P.F** dk fglkc fdrkc ugha j[kuk %&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास कर्मचारियों के चयनित माह के वेतन बिलों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर कर्मचारियों के वेतन से E.P.F की राषि की कटौती की गई है तथा मन्दिर न्यास के खाते से जो राषि कर्मचारियों के E.P.F खाते में जमा की गई है का अलग—अलग खातों में हिसाब किताब नहीं रखा गया है। अतः E.P.F रजिस्टर का तुरन्त प्रभाव से रख—रखाव किया जाए तथा प्रत्येक कर्मचारी के खाते में वेतन से की गई कटौती एवं न्यास की

ओर से अंषदान का अलग–अलग खाता रखा जाए तथा E.P.F निगम में जमा हुई राषि से खातों का मिलान किया जाए।

14 <u>ekVj okV dk ifjpkyu dk fglkc fdrkc ugha j[kuk</u> %&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास की मोटर वोट के अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मोटर वोट का अवधि 09.12.206 से 02.05.2009 तक डीजल खपत का अभिलेख नहीं रखा गया था। दिनांक 02.05.2009 के बाद केवल डीजल खरीदने का अभिलेख की रखा गया है। न्यास द्वारा न तो मोटर वोट की लॉग बुक लगाई गई है। अतः मोटर वोट की डीजल खपत का अभिलेख न रखने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। मोटर वोट की लॉग बुक लगाई जाए तथा मोटर वोट द्वारा प्रत्येक चक्र में कितने श्रद्धालुओं व कर्मचारियों ने नदी पार की है का ब्यौरा रजिस्टर में रखा जाए ताकि आय की सही प्राप्ति की पुष्टि हो सके व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 <u>nh?kZdkyhu fuos'kksa dk C;kjk lgh <ax ls ugha j[kuk</u> %&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास रोकड़ बही एवं FDR रजिस्टर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 09.12.2006 से 31.12.2008 तक के दौरान दीर्घ कालीन निवेषों का ब्यौरा ठीक ढंग से नहीं रखा गया है। दीर्घ कालीन निवेष से कितना ब्याज प्राप्त हुआ तथा नवीनीकरण कब करवाया गया एवं बैंक द्वारा आयकर कितना काटा गया का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः FDR रजिस्टर में FDR का ब्यौरा दर्ज करने के उपरान्त मन्दिर अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 <u>cgqmís'kh; Hkou fuekZ.k esa Hkou lkexzh dk 0;FkZ mi;ksx</u> %&

हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा मन्दिर अधिग्रहण से पहले मन्दिर न्यास हणोगी द्वारा दिनांक 30.06.2006 को बहुदेषीय भवन निर्माण ₹9,88,00,000/–का प्राक्कलन तैयार किया गया था। उक्त निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए वर्तमान हणोगी माता मन्दिर न्यास द्वारा विभागीय तौर पर दिनांक 16.01.2007 से 15.07.2007 तक नीव हेतु 65-20 घन मीटर सीमेन्ट कंकरीट (1:5:10) डलवाई गई जिसमें 148 बैग सीमेन्ट @ 196/-, 1000 cft रेत तथा 1750 cft बजरी 40 mm प्रयोग में लाई गई अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि न तो उक्त कार्य को शुरू करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली गई और न ही निर्माण कार्य का माप पुस्तिका में ब्यौरा दर्ज किया गया। यह भी पाया गया कि उपरोक्त बहुउद्देषीय भवन का निर्माण आगामी वर्षों में नहीं किया गया। अतः उपरोक्त निर्माण कार्य को मुख्य आयुक्त मन्दिर की पूर्व स्वीकृति एवं

तकनीकी स्वीकृति के बिना करवाने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निर्माण कार्य में व्यर्थ प्रयोग हुई निर्माण सामग्री की हानि के लिए जिम्मेदारी तय की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 हणोगी माता मन्दिर न्यास के लेखों के अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राषियाँ अवधि 09.12.06 से 31.12.10 के दौरान विभिन्न संस्थाओं को सहायतार्थ दी गई, जिनके भुगतान के सम्बन्ध में वास्तविक रसीदें, उपयोगिता प्रमाण पत्र व किस कार्य हेतु धनराषि प्रयोग की गई का विवरण नहीं दिखाया गया, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान अभिलेख सहित दिखाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

jkdM cgh i0l0	fnukd	lLFkk dk uke	jkf'k	fVIi.kh
68	21.07.08	बैडमिंटन एसोसिएषन	15000	उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वास्तविक रसीदें व कार्य का प्रयोजन नहीं दिखाया
69	23.07.08	प्रधान एकादष केन्द्र	15000	
69	23.07.08	जिला भाषा अधिकारी	10000	
141	08.11.10	जिला भाषा अधिकारी कमलाह मन्दिर रख–रखाव हेतु	15000	

18 dUVhu dh uhykeh l iklr jkf’k dh olyh ckj %&

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास हणोगी की कैन्टीन की नीलामी से प्राप्त आय के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 01.12.2007 से 30.11.2008 के दौरान श्री दीना नाथ ठेकेदार से कुल नीलामी की राषि ₹57,000/–में से ₹37,000/–की ही राषि प्राप्त की गई है जबकि ₹20,000/–राषि की वसूली की जानी अपेक्षित है। अतः छानबीन करने के उपरान्त उपरोक्त ठेकेदार से ₹20,000/–की राषि जमा की जाए। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मन्दिर कैन्टीन की नीलामी की अवधि 30.11.2010 को समाप्त हो चुकी है जिसे अतिषीघ्र पुनः नीलाम किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 g.kkxh ekrk /ke’kkyk dYy ¼dUVhu½ d uhykeh vfHkys[k vd{k.k e iLrr ugh djuk %&

हणोगी माता मन्दिर न्यास के लेखों की जाँच पड़ताल के दौरान हणोगी माता धर्मषाला कुल्लू के कैन्टीन से सम्बन्धित अभिलेख अवधि 01.07.2009 से 30.06.2010 को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि उपरोक्त कैन्टीन की 30.06.2010 के बाद नीलामी

नहीं की गई है जिसे विलम्ब के कारण सहित अतिषीघ्र निलाम करवाने के बाद अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 <u>g.kkxh ekrk efUnj dk lkykuk ctV r;kj ugh djuk</u> %&

हणोगी माता मन्दिर न्यास के लेखों अवधि 09.12.2006 से 31.12.2010 तक लेखा निरीक्षण करने पर पाया गया कि हणोगी माता मन्दिर न्यास का उपरोक्त अवधि का सालाना बजट तैयार नहीं किया गया था, जो कि H.P. Hindu Public Religious Institution and Charitable endowment Rule 1984 के Rule 13, Section 22 के अनुसार तैयार किया जाना अपेक्षित था। अतः मन्दिर न्यास का सालाना बजट तैयार न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व गत समस्त व्यय की सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसका नियमानुकूलन करवाएं तथा हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा दिनांक 02.08.2008 को लिए गए निर्णय की अनुपालना में गत वर्षों के अनुमानित आय–व्यय के आंकड़ों के आधार पर आगामी साल का बजट विहित समय में तैयार करवा कर सक्षम प्राधिकारी से आवष्यक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

21 <u>fofHkUu i:dkj d: vuqi;kxh iM: lkekuk dh uhykeh ugh djuk</u> %&

हणोगी माता मन्दिर न्यास के स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास के पास विभिन्न प्रकार का अनुपयोगी सामान, चौखट, फर्नीचर, खिडकियां इत्यादि शेष पड़ी हैं जिन्हें सत्यापन करवाने के बाद नीलाम किया जाए तथा नीलामी से प्राप्त राषि को मन्दिर के खातों में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 <u>y/k vkifÙk foojf.kdk</u> %& लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई है।

23 <u>fu"d"k</u> %& मन्दिर न्यास के लेखों में सुधार के लिए पर्यवेक्षण एवं सुदृढ़ लेखांकन प्रणाली अपनाने की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)277/11–खण्ड–1, दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

i:thd`r %&1- मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री हणोगी माता, जिला मण्डी को इस आष्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस

विभाग को शीर्घ भेजें व इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई आपत्तियों का शीघ्र निपटारा करने हेतु कारगर पग उठाएं।

2- प्रधान सचिव एवं मुख्य आयुक्त मन्दिर (भाषा विभाग), हिमाचल प्रदेष सरकार, षिमला–2.

3- उपायुक्त एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास मण्डी, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

4- निदेषक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला–171009.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला–171009.

¼vui dqekj ?kk:½